कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2603 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 28 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.555 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/41148/2019**)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/05/2021/एफ0सी0/2203 दिनांक 29.01.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–1079 दिनांक 26.09.2024। (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1079 दिनांक 26.09.2024 ***(छायाप्रति संलग्न)*** द्वारा पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 22–04–2025 को अपलोड किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः मय संलग्नकों सहित हार्ड प्रति/ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–2603 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – उप वन महानिरीक्षक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26–09–2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 6453 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 22, अप्रैल, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से चामूल भण्डारीगॉव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.555 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/41148/2019**)।

संदर्भः– आपका पत्रांक संख्या 2006 / 12–1 दिनांक 16.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय की पत्र संख्या 933 / 12–1 दिनांक 12.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या– 6453 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त के कम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1079 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.555 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/05/2021/एफ0सी0/2203 दिनांकः–29.01.2021

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 596/12–1(2) दिनांक 30.08.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769, 768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927, 2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892 ,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा जहां **तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी** प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल **प्लांटेशन** से बचे।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे0 गैर वान्किी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769, 768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487, 2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में से 3.00 हे0 MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से अवगत कराया गया है प्रस्तावित सी0ए0 **क्षेत्र में दर्शित** MDF क्षेत्र वास्तव में झाड़ीनुमा है, तथा उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4

	trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	से कम है, जिसमें 1000 वृक्ष/हे0 की दर से वृक्षारोप किया जा सकता है। उक्त से सम्बन्धित रिपोर्ट संलग्न व जा रही है। (संलग्नक–1)
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guidelie para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष तें हस्तान्तरणण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बद क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 7.11 है0 सिवि सोयम भूमि को जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के आदेश संख 1899/सात–60/2021–22 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा व विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–2) उक्त व भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने से सम्बन्धि प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (सलंग्नक–3)
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वा सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर वृक्षारोपण कार्य न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित कि गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (सलंग्नक–4)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **3.555 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 2335635.00 मात्र वन विभ के पक्ष में आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 8 दिनांक 24.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में जमा की चुकी है। (संलग्नक–5)
	(ख) विशेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (ख) के अनुपालन एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हु एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्ध प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)

5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	State Govt-will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt-will strictly monitor and ensure that no futher activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेशतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	सम्बन्धित वन मण्डल वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त क अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त क अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त क अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त व अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh. nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत करार गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपाल सुनिश्चित कर लिया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनिय 1980 यथा संशोधित 2023 के तहत विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1079

संख्या– /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 933 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 12, अगस्त, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.555 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (प्रपोजल/FP/UK/ROAD/41148/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी/U.C.P/06/05/2021/एफ0सी0/2203 दिनांक–29.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की प्रस्तावक विभाग स्तर से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटशेन से बचे।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं0 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में से 3.00 हे0 MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में दर्शित MDF क्षेत्र वास्तव में झाड़ीनुमा है, तथा उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें 1000 वृक्ष/हे0 की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है (रिपोर्ट संलग्न)।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात–05/2022–23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 7.11 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त सी0ए0 क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस सम्बन्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (PL-2) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	State Govt-will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt-will strictly monitor and ensure that no futher activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	कार्य की अनुमति संलग्न है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों किनारो पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों की राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण साम्रगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विर्निदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई/की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोटल (https://parivesh&nic&in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 933 /12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादनू।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

01

संलग्नक – 1

परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ़ के सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से चामुल भण्डारीगांव रजवार तक का निर्माण (प्रस्ताव सं0 41148/2019)।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल भण्डारीगांव रजवार सिविल के 7.11 है0 क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वनाच्छादित नहीं है, बल्कि क्षेत्र लैण्टाना झाड़िया व गाजर घास से युक्त झाड़ीनूमा है, जिसका हरियाली घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें दिनांक 08.11.2017 की गाईडलाईन अनुसार 1000 पौध प्रति है0 की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संलग्नक – 2

2490

06/07/2022

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 05 / 2021 / एफ.सी. / 2203 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत सातशिलिंग थल के चमू से भण्डारी गांव रजवार मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.555 है0 वन भूमि के बदले दोगुनी 7.110 है0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत सातशिलिंग थल के चमू से भण्डारी गांव रजवार मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.555 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारीगावं रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–67 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 7776 रकवा 1.254 है0, 7778 रकवा 1.314 है0, 7780 रकवा 1.189 है0, 11081 रकवा 0.030 है0, 11082 रकवा 3.009 है0, 11083 रकवा 0.314 है0 कुल 06 खेतों की 7.110 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, देवलथल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण / नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून, 30 , 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1899 / सात– 60 / 2021–22   दिनांक जुलाई, 01, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. तहसीलदार देवलथल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

उद्धारण खतौनी

ग्राम: [illegible] राजस्व पट्टी: मुवानी तहसील: डीडीहाट जिला: पिथौरागढ

श्रेणी 9-3) क कृषि [illegible] [illegible] भूमि।

खाता सं0	खातेदार का नाम	[illegible]	खसरा सं0	रकबा (है0 में)	विवरण
67	उ0 प्र0 सरकार [illegible] आबाद		3	0.69	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 1898 दिनांक 01/07/22 के आदेशानुसार खेत नं0 8957 रकबा 1.692 है0, 8958 रकबा 1.752 है0, 8959 रकबा 1.692 है0, 8960 मध्ये रकबा 2.604 है0 कुल 04 खेतों की 7.740 है0 भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह0अ0 पटवारी मुवानी
			15	0.024	
			33	0.191	
			61	0.041	
			क्रमशः खतौनी अनुसार		
			1720	0.013	
			1726	0.051	
			1735	0.019	
			क्रमशः खतौनी अनुसार		
			7776	1.254	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 1899 दिनांक 01/07/22 के आदेशानुसार के खेत नं0 7776 रकबा 1.254 है0, 7778 रकबा 1.314 है0, 7780 रकबा 1.189 है0 11081 रकबा 0.030 है0 , 11082 रकबा 3.009 है0 , 11083 रकबा 0.314 है0 कुल 06 खेतों की 7.110 है0 भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह0 अ0 पटवारी मुवानी
			7778	1.314	
			7780	1.189	
			क्रमशः खतौनी अनुसार		
			8957	1.692	
			8958	1.752	
			8959	1.692	
			8960	2.758	
			क्रमशः खतौनी अनुसार		
			11081	0.13	
			11082	3.009	
			11083	0.314	
			क्रमशः खतौनी अनुसार		
			21982	0.008	
			21984	0.008	
			6145/22082	0.033	
		योग	1343	142.625	

महोदय, असल से नकल तैयार किया।

(हस्ताक्षर) 29/5/24

हिमांशु [illegible]

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र मुवानी .... देवलथल

जिला– पिथौरागढ

...क वृक्षा रोपण हेतु भू·

...गोव रखवाल पट्टी· सुवारी तहसील वेदलयक जिला पिथोरागढ़

रकबा	खाता सं	खातेदार का नाम	प्रस्तावित भूमि		विवरण
			खेत सं·	रकबा	
1·254	67	बेंजर काबिल आबाद	7776	1·254	
1·314	–"–	(राज्य सरकार)	7778	1·314	
1·189	–"–		7780	1·189	
0·130	–"–		11081	0·030	
3·009	–"–		11082	3·009	
0·314	–"–		11083	0·314	
		यो·	·6	7·110	

महोदय, मोका जलसा तैयार किया,

डी० एस० भण्डारी
रा० उ० नि० सुवारी
तहसील ...बेरीनाग...
दिनांक ...16/07/18...

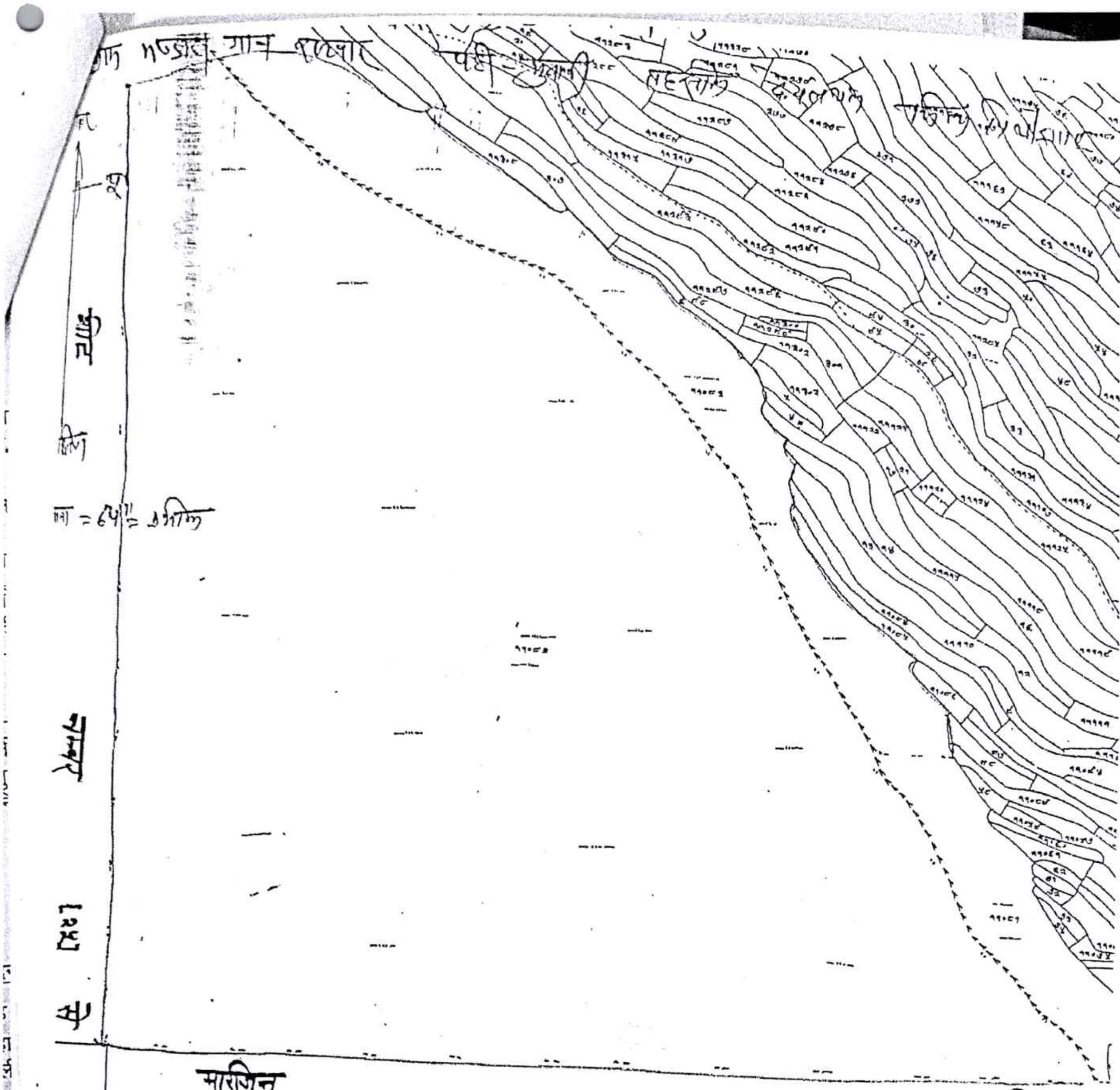

ट्रेस किया रामप्रसाद

[ट्रेसजाँच कर्त्ता]

संकेत

खेत

रास्ता

मसौदा, नक्शे की छाया प्रति सत्यापित

डी0 एस0 भण्डारी
रा0 उ0 नि0

तहसील ....

दिनांक 16/07/18

सेवा में, श्रीमान तहसीलदार महोदय डीडीहाट

विषय – राज्य योजनान्तर्गत सातसिलिंग पल मोटर मार्ग से चमू भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.555 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.110 हे० सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र सं. न्याय/हस्तान्तरण/2017-18 दिनांक जुलाई 12, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारी गांव रजवार के Z.A. खतौनी खाता सं. 67 में चयनित किया गया है। नक्शा, खसरा, खतौनी तैयार कर संलग्न है। 3.555 हे० के दोगुने 7.110 हे० भूमि का चयन किया गया है,

अतः जांच रिपोर्ट सेवा में प्रेषित,

डी० एस० भण्डारी
रा० उ० नि० मुवानी
तहसील ......डीडीहाट......
दिनांक 16/07/018

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.555 हे0)।

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.555 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–67, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 7776 रकवा 1.254 हे0, 7778 रकवा 1.314 हे0, 7780 रकवा 1.189 हे0, 11081 रकवा 0.030 हे0, 11082 रकवा 3.009 हे0, 11083 रकवा 0.314 हे0 कुल 06 खेतों की 7.110 हे0 सिविल भूमि सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1899/60/2021–22 दिनांक 01.07.2024 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

संलग्नक - 4

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.555 हे0)।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल (7.11 हे0) में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Challan

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank

आन्ध्र Andhra

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 23-08-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141148654
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/05/2021/FC
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(in Rs)	4733013/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Forty-Seven Lakh Thirty-Three Thousand and Thirteen Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

y send a line of confirmation through Email: helpdeskca

llan, if the payment status has not been updated your challan with transaction date and reference unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofind

Print Back

CMS Transaction No:- 60140202308 29151396

Transaction date =
Beneficiary A/c No =
IFSC code =

Trn ID:- 5911568229
Dt:- 11/12/2023

Uploaded Done 12/2/24

78/-
5635
3=00

संलग्नक—6

प्रारुप—51

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/-
~~प्रयोक्ता एजेन्सी~~
अधिशासी अभि0
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़